ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

गोपनीय

संख्या :– 03 /प0नि0का0/भा0वि0वि0/2022
दिनांक : 18 ,जुलाई, 2022

सूचना

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0– 1965/सत्तर–1–2022 दिनांक 13, जून 2022 तथा पत्र सं0– 2066/सत्तर–1–2022–16(19)/2021 दिनांक– 18, जुलाई 2022 के सापेक्ष जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर लाकर दर्पण डैश बोर्ड के साथ इंटीग्रेट किये जाने हेतु निम्नानुसार 10 सेवाओं को ऑनलाईन किया जाना है–

1. राज्य की शैक्षक संस्थाओं के प्रमाण–पत्रों और उपाधियों का सत्यापन।
2. राज्य विश्वयविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित किये जाने के उपरान्त अंकपत्र उपलब्ध कराया जाना।
3. प्रमाण–पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाना।
4. डुप्लीकेट अंकपत्र/प्रमाण पत्र जारी किया जाना।
5. संशोधित अंकपत्र/प्रमाण पत्र जारी किया जाना।
6. रोके गये/निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण किया जाना।
7. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का निस्तारण किया जाना।
8. चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना।
9. बैक पेपर के परिणाम की घोषण किया जाना।
10. स्क्रूटनी परिणाम घोषित किया जाना।

उपरोक्त अंकित समस्त सेवाओं को ऑनलाईन उपलब्ध कराये जाते हुए के0पी0आई0 के माध्यम से डैश बोर्ड 'दर्पण' से इंटीग्रेट कराये जाने हेतु अर्ह फर्में अपना प्रस्ताव दिनांक 25, जुलाई 2022 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त।

Bmishra

(डॉ0 भावना मिश्रा)
परीक्षा नियंत्रक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विश्वविद्यालय वेबसाईट।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

Bmishra

परीक्षा नियंत्रक।

संख्या-2066 / सत्तर-1-2022-16(19)/2021

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2022

विषयः- जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर दर्पण डैश बोर्ड के साथ इंटीग्रेट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचित सेवाओं को ऑन लाइन उपलब्ध कराये जाने तथा 'दर्पण' डैश बोर्ड के साथ इंटीग्रेट किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1115/सत्तर-1-2022-16(19)/2021 दिनांक 11-04-2022, पत्र संख्या-1692/सत्तर-1-2022-16(19)/2021 दिनांक 19-05-2022 तथा पत्र संख्या-1965/सत्तर-1-2022, दिनांक 13-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की निम्नांकित सेवाओं को लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है:-

क0 सं0	सेवाओं का विवरण
1.	राज्य की शैक्षिक संस्थाओं के प्रमाण-पत्रों और उपाधियों का सत्यापन
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित किये जाने के उपरान्त अंकपत्र उपलब्ध कराया जाना।
3.	प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाना
4.	डुप्लीकेट अंकपत्र/प्रमाण पत्र जारी किया जाना
5.	संशोधित अंकपत्र/प्रमाण पत्र जारी किया जाना
6.	रोके गये/निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण किया जाना
7.	अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का निस्तारण किया जाना
8.	चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना
9.	बैक पेपर के परिणाम की घोषणा किया जाना
10.	स्कूटनी परिणाम घोषित किया जाना

3. उक्त सेवाओं को आनलाइन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही 'दर्पण' डैश बोर्ड के साथ इंटीग्रेट किया जाना भी अपेक्षित है।

4. प्रस्तर-2 में अधिसूचित सेवाए विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान की जा रही हैं किन्तु

E:\U S DOCS/G.O.

कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जबकि कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त सुविधाओं को आफ लाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने के उपरान्त सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। अतः सभी विश्वविद्यालयों यह अपेक्षित है कि इन सेवाओं को अपने पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित उक्त सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाय तथा KPI के माध्यम से डैश बोर्ड 'दर्पण' से इंटीग्रेट कराया जाए। इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर अपेक्षित परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। कृत कार्यवाही की सूचना विलम्बतम 31 अगस्त, 2022 तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–2066/सत्तर–1–2022–तद्दिनांक

समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए यह अपेक्षित है कि प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर निर्धारित तिथि तक कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायें। उक्त सूचना उपलब्ध कराया जाना उनका व्यक्तिगत दायित्व होगा।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

1636
14/06/22

C.O.E / R. Haider

आवश्यक / समयबद्ध

संख्या–1965 / सत्तर–1–2022–

16/6/22

प्रेषक,

राम जन्म चौहान,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 13 जून, 2022

विषयः– जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर लाकर दर्पण डैश बोर्ड के साथ इंटीग्रेट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित सेवाओं को एण्ड टू एण्ड ऑनलाइन पोर्टल पर लाकर आवश्यकतानुसार ई–डिस्ट्रिक्ट / निवेश मित्र पोर्टल पर तथा दर्पण डैश बोर्ड के साथ इंटीग्रेट किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0–1115 / सत्तर–1–2022–16(19) / 2021, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं पत्र सं0–1692 / सत्तर–1–2022–16(19) / 2021, दिनांक 19 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– जिन 10 सेवाओं के ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना है, उनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	सेवाओं का विवरण	कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति
1	राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं के प्रमाण–पत्रों और उपाधियों का सत्यापन	डिजिलाकर के माध्यम से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।
2	राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित किये जाने के उपरान्त अंकपत्र उपलब्ध कराया जाना।	डिजिलाकर के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
3	प्रमाण–पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाना	प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अपने पोर्टल के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
4	डुप्लीकेट अकपत्र / प्रमाण–पत्र जारी किया जाना	उक्त
5	संशोधित अंकपत्र / प्रमाण–पत्र जारी किया जाना	उक्त
6	रोके गये / निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण किया जाना	उक्त
7	अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का निस्तारण किया जाना	उक्त
8	चरित्र प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना	उक्त
9	बैक पेपर के परिणाम की घोषणा किया जाना	उक्त
10	स्क्रूटनी परिणाम घोषित किया जाना	उक्त

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा की उपरोक्त 10 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना शासन को 03 दिन मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम जन्म चौहान)
अनुसचिव।

Janhit G.O.